न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 06/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. सोनाराम पुत्र भीखाजी जाति मीणा निवासी पालडी जोड़, तहसील सुमेरपुर		1. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सुमेरपुर जिल पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 6.9.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 1795/2016 सोनाराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पालडी के पुराने खसरा नम्बर 400 व 410 की भूमि अपीलाण्ट की पुश्तैनी कब्जा काश्त सुदा भूमि है। जिसके हाल खसरा नम्बर 495, 496 व 497 है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट के पूर्वज काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से काबिज काश्त थे। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में उक्त वाद को निर्णित करते हुए खारिज़ कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट को राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु कोई नोटिस ही जारी नहीं किया गया, न ही अपीलाण्ट के अधिवक्ता को सूचित किया गया। इस कारण अपीलाण्ट राजस्व लोक अदालत में उपस्थित ही नहीं हो सका। जैर अपील निर्णय से पूर्व पत्रावली जवाब दावे हेतु नियत थी। प्रतिवादी का जवाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात आदेश 20 नियम 5 एवं आदेश 14 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक कायम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कर वादी को अपने वाद को साबित करने हेतु साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना था एवं उसके पश्चात विधिवत रूप से अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक विवाद्यक पर निर्णय पारित करना था, तो नहीं किया गया तथा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री इस आधार पर जारी की है कि विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज है तथा उक्त भूमि वादी के नाम आवंटन व नियमनसुदा नहीं है। किन्तु विचारण न्यायालय ने वादी के वाद पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेजात् का विवेचन ही नहीं किया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को खारिज करने का यह भी आधार लिया गया कि विवादित आराजी नगरपालिका क्षैत्र के भीतर अवस्थित होने से वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, मात्र विवादित आराजी नगरपालिका सीमा में अवस्थित होने से राजस्व न्यायालय का क्षैत्राधिकार समाप्त नहीं होता है एवं कानूनन भी नगरपालिका सीमा के भीतर की कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वाद बाधित नहीं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में किया गया है, जबकि राजस्व लोक अदालत आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि दोनों पक्षों को सुनवाई का नोटिस देकर पक्षकारों में मध्य विचाराधीन वाद का राजीनामा के आधार पर लोक अदालत की भावना से मुकद्दमे का निस्तारण करना, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जैर अपील आदेश के जरिये प्रकरण को खारिज किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट बतौर अतिक्रमी काबिज है तथा अतिक्रमी किसी भी रूप में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का कानूनी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए जैर निर्णय के जरिये निस्तारण किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में वर्णित तथ्यों अनुसार अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर जैर अपील वादस्थ आराजी पर पुश्तैनी कब्जा काश्त होने के कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया। इसके पश्चात प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का विधिक परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करते हुए वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अब प्रकरण में यह विधिक प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

घोषणा का अनुतोष दिया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 721 जगदीश व अन्य बनाम सीताराम व अन्य में यह प्रतिपादित किया है कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 – धारा 232 – परिसीमा अधिनियम 1963 अनुच्छेद 64 व 65, रेफरेन्स– खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रदान किये जा सकते हैं – काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मामलों में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं – प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते – नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0एल0सी0 (एच.सी.) सिविल पेज 32 स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम मुकेश कुमार व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " प्रतिकूल कब्जा –विधि सुधार– प्रतिकूल कब्जे की विधि पर नया दृष्टिकोण अपनाये जाने की अत्यावश्यकता की दृष्टि से संसद या तो इस विधि को समाप्त कर दे अथवा इसमें संशोधन करें। तथ्यों के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के दावे को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना मान्य रहा।" इसी प्रकार आर0जे0टी0 2011 (1) पेज 468 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " प्रतिकूल कब्जा – केवल कब्जा कितना ही लम्बा हो, का तात्पर्य नहीं है कि वास्तविक मालिक के यह प्रतिकूल है – कब्जा प्रतिकूल एवं विवृत हेना चाहिये। प्रकिूल कब्जा साबित करने में अपीलाण्ट असफल रहा। न तो आशमित विक्रय पत्र, न विक्रय करार रेकॉर्ड पर पेश किया। प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वत्व साबित नहीं किया।" इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0एल0सी0 2009 (1) पेज 69 में प्रतिकूल कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्धारित किया कि "प्रतिकूल कब्जे की विधि का दोष–प्रतिकूल कब्जे का न अभिवचन और न उसकी साक्ष्य–ऐसी परिस्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर डिक्री त्रुटीपूर्ण–प्रतिकूल कब्जे की विधि बेईमानी का पुरस्कार है।" उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधिक दृष्टिकोण से त्रुटीपूर्ण है। उपरोक्त अवधारणाओं को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/2010 हिम्मतसिंह बनाम चुन्नीलाल में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2011 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 1795/2016 सोनाराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली